न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 2/18 निर्णय दिनांक :– 18.7.19

उनवान

1. राजाराम पुत्र गोपाल
2. मदन पुत्र गोपाल
3. सीताराम पुत्र गोपाल
4. केली देवी पुत्री गोपाल
5. ममता देवी पुत्री गोपाल
6. प्रेम देवी पुत्री मोपाल
7. धापू देवी बेवा गोपाल

समस्त जाति जाट, निवासी– ढाणी गरूडवासी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

––अपीलांट

बनाम

1. दयाराम पुत्र हरनाथ
2. नाथू पुत्र जगदीश

समस्त जाति जाट, निवासी– ग्राम गरूडवासी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राज.।

3. ग्राम पंचायत गरूडवासी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गरूडवासी, पं. सं. चाकसू, जिला जयपुर
4. सरकार जरिये तहसीलदार कोटखावदा, जिला जयपुर

––रेस्पोडेन्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज, भू. राज. अधिनियम

विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 16 ग्राम गरूडवासी आदेश दिनांक

12.06.1990 ग्राम पंचायत गरूडवासी

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से पेश की गई है

संक्षिप्त तथ्य अपील निम्न प्रकार है :– अपीलान्ट

की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि आराजी खसरा नंबर 584 रकबा 0. 54 है0, खसरा नंबर 593 रकबा 0.57 है0, खसरा नंबर 612 रकबा 0. 48 है0, खसरा नंबर 613 रकबा 0.19 है0, खसरा नंबर 614 रकबा 0. 07 है0 कूल किता 05 कुल रकबा 1.85 है0 भूमि वाके ग्राम गरूडवासी, तहसील- कोटखावदा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नंबर 195 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 200 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा संवत 2039 से 2042 की जमाबंदी के मुतांबिक थे। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट के पिता गोपाल पुत्र परताब जाट सा.देह के नाम दर्ज थी। गोपाल पुत्र परताब का देहान्त दिनांक 20.05.1985 को गया था। उस समय अपीलान्ट सं. 01 लगायत 06 नाबालिक थे व अपीलान्ट सं. 07 एक अनपढ महिला थी। अपीलान्ट के पिता गोपाल पुत्र परताब कोम जाट की मृत्यु दिनांक 20.05.1985 को ही गई थी। जिसके जायन्दा वारिस अपीलान्ट ही थे। इनके अलावा अन्ये कोई वारिस एवं उत्तराधिकारी नहीं थे। राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना जांच पडताल किये ही रेस्पोडेन्ट जो इनके परिवार के सदस्य भी नहीं थे। ना ही इनके खानदान में बल्कि [illegible] व्यक्ति था। जिनके पिता का भी अलग था। [illegible] का व गिरदावर द्वारा अपीलान्ट के पिता गोपाल पुत्र परत[illegible] का विरासत का नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

सं. 16 दिनांक 12.06.1990 को रेस्पोडेन्टस के नाम गलत. खोल दिया गया। जो अपीलान्ट के अधिकारो के मुकाबले उक्त नामान्तकरण सं, 16 दिनांक 12.06.1990 प्रारम्भ से ही शुन्य एवं खारिज होने योग्य है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा उक्त नामान्तकरण सं. 16 दिनांक 12.06.1990 को भर दिया तथा गिरदावर व सरपंच द्वारा केम्प गरूडवासी में उक्त नामान्तकरण वारिस प्रमाण पत्र के मुताबिक नहीं खोला गया। बल्कि गलत नामान्तकरण खोलकर तस्दीक कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस अलावा दीगर कारणो सहित निम्न कारणो पर अपील प्रस्तुत करते हैं निर्णय सुयोग्य अदालत न्याय नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश साजिश व पक्षपात पूर्ण तथा न्याय व समता के प्राकृतिक सिद्धान्त के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपील सुनवायी का अधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। अपील अपीलान्टस मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण सं. 16 दिनांक 12.06.1990 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट वकील द्वारा पेश की गयी जो अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया जो इस प्रकार पेश किया कि :–

प्रार्थीगण ने प्रथम अपील सूचना प्रकाश पर प्रस्तुत कर दिया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। जब उक्त भूमि का नामान्तकरण खुला तब प्रार्थीगण नाबालिग थे तथा प्रार्थी सं. 07 एक अनपढ महिला थी। जिसे कानून का ज्ञान नहीं था। प्रार्थीगण को उक्त नामान्तकरण की जानकारी जब उक्त भूमि पर किसान क्रैडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबंदी निकलवायी तब उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई जिसके पश्चात प्रार्थीगयण ने रूपयो पैसो की व्यवस्था कर अपील अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष पेश कर दी है। प्रार्थीगण को दिनांक 12.06.1990 से दिनांक 16.07.2018 तक ही हुई देरी को कन्डोन कर अपील स्वीकार करने की कृपा करें। दफा 05 प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने हुये देरी को न्यायहित में माफ किया जाकर अपील अपीलान्ट को गुणावगुण निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करें। अपील अपीलान्ट मय दफा 5 का पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेंट की तलबी की गयी तो रेस्पोडेंन्ट संख्या 1, 2 दिनांक 06.08.2018 व 30.08.2018 को स्वयं हाजीर आने पर तहसील से मूल नामान्तकरण तलब किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया रस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 दिनांक 11.10.2018 से 20.06.19 तक जवाब पेश नही किये जाने पर जवाब बन्द कर एक तरफा बहस अपीलांट वकील की सुनी गयी तो अपीलांट वकील अपील का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार किया जाना जाहिर किया गया। बहस अपीलांट वकील पर गौर कि[illegible]त्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया ग[illegible]पीलांट के पिता गोपाल पुत्र परताब जाट सा0 देह के नाम [illegible]र्ज थी गोपाल पुत्र परताब का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

स्वर्गवास दिनांक 20.05.1985 को हो गया था जिसके जामन्दा वारिस अपीलांट थे इनके अलावा और कोई वारिस नही है। रेस्पोडेन्ट जो इनके परिवार के सदस्य भी नही थे न ही इनके खानदान में बल्कि गोपाल दूसरा व्यक्ति था जिसके पिता का नाम भी अलग था, न ही उक्त नामान्तकरण वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर खोला गया। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण गलत तरीके से बिना वारिसों की जांच किये गलत खोला गया है जिसे निरस्त कर पुनः वारिसों की जांच कर नामान्तकरण खुलवाया जाना उचित समझते है। अपील अपीलांट मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक 17.06.1990 का खारिज (निरस्त) किया जाकर तहसीलदार कोटखावदा को रिमाण्ड किया जाता है कि वारिसों की नियमानुसार जांच कर नामान्तकरण गोपाल पुत्र प्रताब के वारिसों के नाम खोला जाये। निर्णय प्रति एवं मूल नामान्तकरण संख्या 16 तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:37 IST
Reason: SelfAttested